सोहन सिंह बनाम सीताराम मु. न. 87/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3.1.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खिलाफ की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 87 / 2023

1 सोहन सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी बाज्यावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
2 राजेन्द्र सिंह पुत्र दोलसिंह जाति राजपूत निवासी बाज्यावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सीताराम पुत्र नन्दाराम
1/1 मैना देवी पत्नी सीताराम जाति मीणा
1/2 राजेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम
1/3 दिनेश कुमार पुत्र सीताराम
2 जगदीश पुत्र नन्दाराम
3 गोपाल पुत्र नन्दाराम
4 बुद्धसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत (फौत)
4/1 छीतरसिंह पुत्र स्व. बुद्धसिंह
4/2 गोरूसिंह पुत्र स्व. बुद्धसिंह
4/3 प्रहलाद सिंह पुत्र स्व. बुद्धसिंह
4/4 भंवरी कंवर पुत्री स्व. बुद्धसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण बाज्यावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
5 रतन सिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत (फौत)
5/1 प्रेम कंवर बेवा रतन सिंह
5/2 जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रतन सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण बाज्यावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
6 भंवर सिंह पुत्र घीसू सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

7 बन्ने सिंह पुत्र घीसू सिंह
8 किशोर सिंह पुत्र घीसू सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी बाज्यावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
9 उप पंजीयक दांतारामगढ़
10 तहसीलदार दांतरामगढ़
11 सहकारी भूमि विकास बैंक सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय एस.डी.ओ. दांतारामगढ़ दिनांक 24.09.2004 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 3.1.15

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 539/99 में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने एक वाद उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 8 वर्तमान खसरा नम्बर 59, 67, 68, 72 वाके ग्राम बाज्यावास तहसील दांतारामगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजी गत खसरा नम्बर 8 स्व. छोटूसिंह की खातेदारी में दर्ज थी स्व. छोटूसिंह ने उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा दिनांक 28.08.80 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत को विक्रय की थी तथा शेष 1/2 हिस्सा स्व. छोटूसिंह के नाम से रहा था तथा उसके बाद छोटूसिंह के फौत होने पर उक्त 1/2 हिस्सा उसके वैधानिक वारिसान रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 लगायत 8 के नाम से दर्ज हुआ जिसमें 1/6 हिस्सा बुद्धसिंह रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 का 1/6, रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 रतनसिंह तथा 1/6 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 लगायत 8 का दर्ज हुआ है उक्त गत खसरा नम्बर 8 के नये खसरा नम्बर 59, 67, 68 व 72 लगायत 75 कुल किता 7 कुल रकबा 4.99 हैक्टेयर रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 बुद्धसिंह से अपना 1/6 हिस्सा सम्पूर्ण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 02.02.98 को अपीलान्ट को विक्रय कर दिया तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त 7 खसरा नम्बरों में 1/6 हिस्सा अपीलान्ट के नाम से दर्ज हो गया तथा मौजूदा में अपीलान्ट अपने 1/6 हिस्से पर बहैसियत खातेदार काश्तकार व काबिज है इस बात पर कोई गौर नही कर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय व डिक्री जैर अपील कानूनन निरस्त होने योग्य है। रिकार्ड के मुताबिक गत खसरा नम्बर 8 वर्तमान खसरा नम्बर 59, 67, 68, 72 लगायत 75 अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

कानूनी प्रावधानों के विपरित बिना बंटवारे की डिक्री के रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 को उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में से खसरा नम्बर 72 लगायत 75 का अकेले रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित कर कानूनी गलती की है। अतः निर्णय व डिक्री जैर अपील कानूनन निरस्त होने योग्य है। विक्रय पत्र दिनांक 02.02.1998 जो अपीलान्टस के पक्ष में रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 द्वारा अपना 1/6 हिस्सा सम्पूर्ण विक्रय किया गया है। उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करने का विचारण न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है तथा विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील आने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर किया है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। विक्रय पत्र दिनांक 28.08.80 जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 के पक्ष में तहरीर किया गया है व दफा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरित है जिसके तहत वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 को किसी भी प्रकार का कानूनन को ईहक हुक्म प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के निर्णय व डिक्री पारित की है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय को बिना बंटवारे की रिलिफसिक किये इस्तदुआ प्राप्त किये कानून बिना किसी आधार के खसरा नम्बर 72 लगायत 75 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 को उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पारित करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था विचारण न्यायालय ने सारे कानूनी प्रावधानों को ताक में रखकर निर्णय व डिक्री पारित की है जो कानून निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रहीं है। विचारण न्यायालय ने वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान विवादित भूमि के सहखातेदार काश्तकार रहे है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रक्रिया अनुसार विभाजन किये बिना विचाराधीन निर्णय से खसरा नम्बर 72 से 75 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सहकाश्तकारों के मध्य विभाजन से पूर्व हिस्सा विशेष का बेचान तो किया जा सकता है किन्तु भू–भाग विशेष अथवा किसी एक सहखातेदार द्वारा संपूर्ण खसरा नम्बर का बेचान नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर